न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0नं0 :– 83/2024
निर्णय दिनांक :– 27.01.2025
पीठसीन अधिकारी :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. सुशीला देवी पत्नि शम्भूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चौरू, तहसील फागी जिला दूदू।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बालमीकदास पुत्र हरिरामदास जाति स्वामी निवासी ग्राम चौरू, तहसील फागी जिला दूदू।
2. तहसीलदार फागी, तहसील फागी जिला दूदू।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री तेजाराम चौधरी वकील प्रार्थी
श्री विनोद कुमार जैन वकील अप्रार्थी सं0 01
पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत।

निर्णय दिनांक :– 27.01.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0. 5690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.0379 कुल किता 3 कुल रकबा 0. 9357 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम चौरू उत्तर, पटवार हल्का चौरू उत्तर, भू०अभि०नि०क्षेत्र चौरू तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसकी प्रार्थीया रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 आपस में पडौसी खातेदार है एवं आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.0379 जिसकी प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है। लेकिन प्रार्थीया की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 हर

उपखण्ड अधिकारी फागी जयपुर

लगातार.....2

वर्ष मेर कोर को दबाता चला आ रहा है तथा आये दिन मेर कोर व सीमाओं को लेकर लडाई झगडा करता रहता है। प्रार्थीया की भूमि में विवाद उत्पन्न करने तो प्रार्थीया ने अपनी आराजी भूमि का विधिवत रूप से श्रीमान् तहसीलदार फागी के आदेश क्रमांक/एलआर/24/2711 दिनांक 05.06.2024 की पालना में दिनांक 12.6.2024 को पटवारी हल्का चौरू से सीमाज्ञान करवाया गया एवं सीमाज्ञान पूर्ण हो गया एवं फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त सीमाओं की अनदेखी करने लगा तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में हुये सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को मध्य नजर रख पक्षकारों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कर रिपोर्ट सीमाज्ञान चारों भुजाओं की सीमा चिन्ह कायम कर उक्त खसरा नम्बरान के चारों भुजाओं को कायम कर चिन्ह बैंगवाये गये। मौके पर उपस्थित के समक्ष सेग्रीकेशन नक्शा सीट से जरीब चलाकर निशानात बताकर अवगत कराया गया। उपस्थित के हस्ताक्षर कराये गये। अप्रार्थी संख्या 1 नहीं चाहते कि विवाद समाप्त हो और प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त कर सकें। जिस हेतु विधि अनुसार किये गये सीमाज्ञान को नहीं मानते हुये एवं प्रार्थीया की आराजीयात के कब्जे काश्त में आये दिन मजाहमत करता है। क्योंकि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढी नही हो रखी है। सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 एवं आदेश कमांक/एलआर/24/2711 दिनांक 05.06.2024 के आदेश पर हुये सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 को हुये सीमाज्ञान एवं कायम निशानात को अप्रार्थी संख्या 1 नहीं मानता है तथा प्रार्थीया से आये दिन लडाई झगडा व मेर कोर को लेकर करता है तथा पत्थरगढी नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 विवाद उत्पन्न करता है। इस कारण प्रार्थीया को पत्थरगढी प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। तहसीलदार फागी के आदेशानुसार किये गये सीमाज्ञान दिनांक 12.06.2024 के अनुसार यदि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 681, 682, 683 की भूमि पर पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जाकर पत्थरगढी कर दी जाती है तो मौके पर उपस्थित विवाद समाप्त हो जावेगा एवं प्रार्थीया को न्याय मिल सकेगा। श्रीमान् न्यायालय को उक्त प्रकरण में पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

(3)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की तरफ से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार जैन उपस्थित हुए तथा जबाब नही देकर सीधी बहस हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी सं0 1 का जबाब बन्द किया जाता है।

पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया। जिसे शामिल मिस्ल किया गया। अप्रार्थी सं. 2 ने जवाब में बताया कि उक्त खसरा नं. 681, 682, 683 का दिनांक 12.06.2024 को किया जा चुका है।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी बहस मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर ऐतराज जाहिर किया। तथा अपने खसरा नंबर 1066 का भी सीमाज्ञान किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत प्रकरण पत्थरगढी का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम चौरू उत्तर खाता सं0 572 के ख0न0 681, 682, 683 में प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकन किया है कि ख0न0 681, 682, 683 का विधिवत सीमाज्ञान करवा लिया है उसके बावजूद भी अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी की भूमि मे अवैधनिक रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करना चाहते है। पूर्व मे उक्त विवादग्रस्त आराजी का दिनांक 12.06.2024 को सीमाज्ञान हो चुका है।

अप्रार्थी सं. 1 अपने आराजी खसरा नं. 1066 का सीमाज्ञान करवाने हेतु स्वतंत्र है।

उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

लगातार.....4

(4)

–:आदेश :–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 681, 682, 683 कुल रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम चौरू उत्तर तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी किया जाकर, पडौसी खातेदारान की उपस्थिति मे पुनः सीमाज्ञान करते हुये पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है। पत्थरगढ़ी केवल सीमाचिह्न की जानकारी मात्र हेतु की जावें। कब्जे सम्बंधी विवाद हो तो सक्षम न्यायालय में सक्षम धाराओं में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/01/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सत्यमेव जयते